

राजस्थान सरकार

**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**

क्र. एफ 5/एसीटीएडी/माडा बजट /275(1)/सीकर/19-20/13673-82 दिनांक : 03.07.2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)

सीकर।

विषय : सिंगल फेस पनघट निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर के पत्रांक जिपसी/निर्माण/माडा/2020 1727-31 दि. 23.06.2020।

विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 35337-51 दिनांक 16.09.2019 द्वारा निम्नलिखित पेयजल कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त की गई। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्यो हेतु कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है:-

कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

पंचायत समिति- पीपराली

(राशि लाखों में)

| क्र.स. | कार्य का नाम  | ग्रा.पं. | प्रशा. स्वीकृति राशि | तकनीकी स्वीकृति           |      |
|--------|---|----------|----------------------|---------------------------|------|
|        |   |          |                      | क्र/दि.                   | राशि |
| 1      | 2   | 3        | 4                    | 5                         | 6    |
| 1      | सिंगल फेस पनघट निर्माण कार्य समदर लाल मीणा के घर के पास, गोटी रोड | पलसाना   | 2.85                 | JEN/PS-Piprali/8/15.06.20 | 2.85 |

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि रु. 250.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी खाते में उपलब्ध है।

कार्यो का सम्पादन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जावेगा।

**शर्तें:-5**

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी मद/योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो सूचित किया जावे। दोहरा व्यय की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे निविदा पश्चात जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावे।
- नलकूप खोदने संबंधी कार्य भू-जल वैज्ञानिक की जल उपलब्धता की रिपोर्ट अनुसार किया जावे। विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही नल कूप वैधन किया जावे। सफल जल स्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्य/व्यय कराया जावे। ट्यूबवेल वेधन/जल स्रोत के असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नही किया जावे।
- हैण्डपम्प स्थापना अनुसूचित जनजाति (एसटी) बस्तियों मे किया जाना सुनिश्चित करे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging dj soft copy es comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
- निर्माण पश्चात् संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ किया जावे।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।

(डॉ. वृद्धिचन्द गर्ग) R.A.S  
अतिरिक्त आयुक्त  
कृ.पू.उ.

क्र. एफ 5/एसीटीएडी/माडा बजट /275(1)/सीकर/19-20/13673-82 दिनांक : 03.07.2020  
प्रतिलिपी :-

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सीकर ।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि रु. 250.00 लाख में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद सीकर को राशि रु. 2.85 (अक्षरे दो लाख पिचासी हजार मात्र) हस्तांतरित करावे।
5. निदेशक मॉनेटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति ~~सीकर~~ सीकर।
7. गार्ड फाईल।

0  
अतिरिक्त आयुक्त

---

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721  
ई-मेल : comm.tad@gmail.com, Website www.tad.rajasthan.gov.in